सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम्बर 31, 2025

Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता में, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्र के लिए एतद्द्वारा समझौता अधिकारी नियुक्त करती हैः-

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1	सहायक श्रम आयुक्त, कुचामन-डीडवाना	कुचामन-डीडवाना जिला
2	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर जिला
3	सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर	बाड़मेर जिला
4	सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा	बालोतरा जिला
5	उप श्रम आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर एवं फलोदी जिला
6	सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड़	कोटपूतली-बहरोड़ जिला
7	उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा जिला
8	सहायक श्रम आयुक्त, अलवर	अलवर जिला
9	सहायक श्रम आयुक्त, उदयपुर	उदयपुर एवं सलूम्बर जिला
10	सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द	राजसमंन्द जिला
11	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर	भरतपुर एवं डीग जिला

राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।